

# सोशल आडिट निदेशालय

(उ०प्र० सोशल आडिट संगठन के अधीन)

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांक: 223 / सो०आ०नि०-320/2018

दिनांक: 30 जुलाई, 2018

प्रेषक,

निदेशक,  
सोशल आडिट,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,  
(गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद तथा कासगंज को छोड़कर)  
उत्तर प्रदेश।

**विषय:** सोशल आडिट ग्राम सभा सम्पन्न होने के बाद सोशल आडिट प्रतिवेदनों को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के पत्र सं०-एम-11015/4/2018-आरई-III(361686), दिनांक 21 जून, 2018 (संलग्न-1) का संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें सोशल आडिट यूनिट द्वारा अपलोड किए गए प्रतिवेदनों पर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यवाही करते हुए एक्शन टेकेन रिपोर्ट (ATR) नरेगासॉफ्ट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। दिनांक 29 जून, 2018 को भारत सरकार द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नरेगासॉफ्ट में ATR अपलोड करने हेतु स्टेट एम०आई०एस० नोडल आफिसर को भी अवगत कराया जा चुका है।

2- इस संबंध में निदेशालय के पत्र संख्या-159/सो०आ०नि०-301/18, दिनांक 29 जून, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा भारत सरकार की वेबसाइट पर सोशल आडिट प्रतिवेदनों को ससमय अपलोड करने एवं MIS में आ रही समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में DSAC का एक दिवसीय रिक्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर में यह निर्देश दिया गया है कि सोशल आडिट ग्रामसभा सम्पन्न होने के 02 दिनों के अन्दर सोशल आडिट प्रतिवेदन को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

3- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017-18 में भारत सरकार की वेबसाइट पर परिवर्तित किए गए सोशल आडिट प्रतिवेदनों को अपलोड करने का व्यवहारिक अनुभव DSACs को प्राप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कतिपय जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में अपलोड की कार्यवाही प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में संपन्न सोशल आडिट के सापेक्ष भारत सरकार की वेबसाइट पर रिपोर्ट अपलोड की प्रगति जनपदवार संलग्न है। (संलग्न-2)

सभी जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में संपन्न सोशल आडिट की अपलोडिंग के संबंध में समीक्षा करते हुए रिपोर्ट ससमय अपलोड कराया जाए। इस हेतु प्रति सोशल आडिट रिपोर्ट अपलोड करने के लिए रू0 50/- प्रोत्साहन राशि अपलोड करने वाले व्यक्ति को अनुमन्य होगा।

4- जनपदों द्वारा सोशल आडिट प्रतिवेदनों को अपलोड करते हुए रिपोर्ट को फ्रीज भी किया जाना है, जिससे सोशल आडिट यूनिट द्वारा अपलोड किए गए प्रतिवेदनों पर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा ATR अपलोड किया जा सके।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में 2962 ग्राम पंचायतों संपन्न सोशल आडिट के सापेक्ष 2609 ग्राम पंचायतों में रिपोर्ट अपलोडिंग का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, लेकिन केवल 2041 ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट को फ्रीज किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश में जून, 2018 तक 3504 प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 2161 ग्राम पंचायतों में रिपोर्ट अपलोडिंग का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, लेकिन केवल 1064 ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट को फ्रीज किया गया है।

अतः यदि आवश्यक हो तो रिपोर्ट अपलोड करने की संख्या को देखते हुए एक BSAC/BRP जो सोशल आडिट टीमों को सोशल आडिट के दौरान फैंसिलिटेट न कर रहा हो एवं नए एम०आई०एस० को अपलोड करने की जानकारी के साथ ही कंप्यूटर में दक्ष हो, को अपलोडिंग कार्य में DSAC की सहायता के लिए लगाया जा सकता है, जिससे ससमय रिपोर्ट अपलोड हो जाए।

5- साथ की साथ "सोशल आडिट के निष्कर्ष एवं संस्तुतियां" को राज्य सरकार की निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही की जाए।

6- कृपया उपरोक्तानुसार अपने जनपद में संपन्न सोशल आडिट प्रतिवेदनों को ससमय अपलोड करने एवं फ्रीज करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भुवनेश्वर,

(राजवर्धन)  
निदेशक

F.No. M-11015/4/2018-RE-III (361686)  
Government of India  
Ministry of Rural Development  
Department of Rural Development  
MGNREGA Division

Krishi Bhawan, New Delhi  
21<sup>st</sup> June, 2018

To  
The Principal Secretary/Secretary/Commissioner  
(in-charge of MGNREGA)  
(All States)

Subject: Follow-up action on Social Audit Reports to be uploaded on the newly developed MIS -  
reg.


Madam/Sir,

As per the norms laid down in the Auditing Standards for Social Audit, State Government in consultation with Social Audit Units are required to establish a follow-up mechanism to monitor and ensure timely action on the findings of Social Audits

The Ministry in due consultation with Social Audit Units (SAUs) has recently revisited and modified the Social Audit MIS for reporting the Social Audit findings as well as Action Taken Reports (ATRs) on such findings. The issues reported by the SAUs can be viewed and responded through State DBA login.

you are requested to take appropriate follow up actions on social audit findings and ensure that all the issues reported from the Social Audit process and available on the MIS, and responded to **within 30 days** of reporting by the State Social Audit Unit.

Yours faithfully,



Aparajita Sarangi  
Joint Secretary (MGNREGA)  
Tel: 011-23383553

Copy to:

1. State nodal MIS persons in-charge of MGNREGA
2. Director, Social Audit Unit (All States)
3. NIC-DRD, Krishi Bhawan, New Delhi